राजस्थान सरकार

स्कूल शिक्षा विभाग

क्रमांक :पं.17(20)/प्राशि/आयो./जि. **बांरा**/समन्वयन/2016 दिनांक : 14/06/2016

आदेश

एक ही राजस्व ग्राम में अत्यन्त नजदीक एक से अधिक राजकीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित होने के कारण विद्यालयों में पर्याप्त नामांकन उपलब्ध नहीं हो पाता है। जिसके कारण आर.टी.ई. मानदण्डों के अनुसार अध्यापकों के पद स्वीकृत करने के बावजूद भी प्रत्येक कक्षा हेतु पृथक शिक्षक की उपलब्धता संभव नहीं हो पाती है एवं शिक्षा की गुणवत्ता विपरीत रूप से प्रभावित होती है।

इस स्थिति को मध्यनजर रखते हुए कम नामांकन वाले प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों को उसी राजस्व ग्राम के निकटतम अन्य प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय में समन्वित करने हेतु निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर द्वारा प्रस्ताव तैयार कर आयुक्त, सर्व शिक्षा अभियान, जयपुर को प्रेषित किए गए। समन्वयन के प्रस्तावों की जांच एवं परीक्षण हेतु आयुक्त,सर्व शिक्षा अभियान, जयपुर की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर से प्राप्त प्रस्तावों की आर.टी.ई. मापदण्डों के अन्तर्गत जॉच उपरान्त शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु समन्वयन के प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रस्तुत किए गए।

विभाग द्वारा परीक्षण उपरान्त स्कूल शिक्षा में गुणात्मक सुधार सुनिश्चित करने के लिए जिला **बांरा** के कम नामांकन वाले कॉलम संख्या 5 में वर्णित विद्यालय को कॉलम संख्या 6 में वर्णित विद्यालय में समन्वित किए जाने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है:–

जिला – **बांरा**

ग्रामीण क्षेत्र

जिले का नाम	ब्लॉक का नाम	ग्राम पंचायत	राजस्व ग्राम	विद्यालय का नाम जिसे समन्वित किया जाना हैं।	विद्यालय का नाम जिसमें कॉलम संख्या 5 के विद्यालय का समन्वित किया जाना हैं।	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7
बारां	अन्ता	जेलोदा तेजाजी	भोज्याहेडी	राप्रावि भोज्याहेडी	राप्रावि बैरवा बस्ती भोज्याहेडी	
बारां	अन्ता	महलपुर	नन्दगावडी	राप्रावि नन्दगावडी	राप्रावि मूडिया	
बारां	अन्ता	महलपुर	जडावदिया	राप्रावि जडावदिया	राप्रावि मूडिया	
बारां	अन्ता	शाहापुरा	घूमरखेडी	राप्रावि घूमरखेडी	राउप्रावि श्रीनाल	
बारां	अन्ता	नियाना	कोटडी	राप्रावि कोटडी	राउप्रावि केवडा	
बारां	अटरु	कुंजेड	रामपुरिया	राप्रावि शि.क. रामपुरिया	राउप्रावि मनोहरपुर	
बारां	अटरु	दडा	छत्रपुरा	राप्रावि छत्रपुरा	राउप्रावि बलदेवपुरा	

बारां	अटरु	कटावर	बलदेवपुरा	राप्रावि अरनियाखेडा	राउप्रावि बलदेवपुरा	
बारां	अटरु	कटावर	भोजूखेडी	राप्रावि भोजूखेडी	राप्रावि नारायणपुरा	
बारां	अटरु	कुण्डी	कुण्डी	राप्रावि कुकरतालाब	राउप्रावि उगरपुरा	
बारां	बारां	तिसाया	खेडलीकेशों	राप्रावि खेडलीकेशों रामपुरा मजरा	राप्रावि शि.क. खेडलीकेशों	
बारां	बारां	रटावद	शंकरपुरा	राउप्रावि शंकरपुरा तुलसा	राउप्रावि जगन्नाथपुरा	
बारां	छबडा	दीलोद	कडीखेडी	राप्रावि शि.क. कडीखेडी	राउप्रावि सांगोडा	
बारां	छबडा	दीलोद	बीलखेडा	राप्रावि शि.क. कंचनपुरा	राप्रावि बीलखेडा	
बारां	छबडा	दीलोद	नृसिंहपुरा	राप्रावि शि.क. नृसिंहपुरा	राउप्रावि सोनी	
बारां	छबडा	हान्याहेडी	अफजलपुरा	राप्रावि बाल्याबरडी	राप्रावि चांदपुरा	
बारां	छीपाबडौद	अजनावर	बरावदा	राप्रावि हरिपुरा	राउप्रावि बरावदा	
बारां	छीपाबडौद	अमलावदा आली	गडारी	राप्रावि चारपुरा	राप्रावि गडारी	
बारां	छीपाबडौद	मोखमपुरा	गुजरखेडी	राप्रावि गुजरखेडी	राप्रावि टुन्डपुरा	
बारां	किशनगंज	सुवांस	कुन्जी	राप्रावि कुन्जी	राप्रावि पीपलखेडी	
बारां	छबडा	खोपर	गोरखपुरा	राप्रावि गोरखपुरा	राउप्रावि केशोली	
बारां	किशनगंज	सुवांस	बाझआमली	राप्रावि बाझआमली	राप्रावि खण्डेलाखेडी	

उक्त समन्वयन निम्न दिशा–निर्देशों के अनुसार होगा :–

1. समाहित होने वाले कॉलम संख्या 5 के राजकीय विद्यालय का पृथक से कोई प्रशासनिक अस्तित्व नहीं रहेगा तथा समस्त कक्षाऐं कॉलम संख्या 6 के समन्वित विद्यालय के अधीन संचालित की जायेगी।
2. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के द्वारा एकीकरण के पश्चात स्थापित समन्वित विद्यालय की विद्यार्थी संख्या के आधार पर राज्य सरकार द्वारा शैक्षणिक पदों के मानदण्डों के निर्धारण हेतु जारी दिशा–निर्देश क्रमांक प.5(8)प्राशि/2016 दिनांक 21.04.2016 के अनुसार पदो का पुनः निर्धारण किया जायेगा एवं स्वीकृत पदों के

आधार पर अधिशेष होने वाले शिक्षकों को अन्य विद्यालयों के रिक्त पदों पर पदस्थापित किया जावेगा।

3. एकीकरण के पश्चात् स्थापित होने वाले कॉलम संख्या 6 के विद्यालय को समाहित होने वाले कॉलम संख्या 5 के विद्यालय की समस्त स्थाई एवं अस्थाई परिसम्पतियां यथा भूमि, भवन, खेल मैदान, फर्नीचर, शैक्षिक उपकरण, उपयोगी एवं अनुपयोगी सामग्री आदि का हस्तान्तरण स्वतः ही हो जायेगा। एकीकरण से स्थापित समन्वित विद्यालय द्वारा कक्षाओं के संचालन में समस्त भवन परिसरों का आवश्यकतानुसार समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जावेगा। समुचित उपयोग पश्चात रिक्त रहने वाले परिसर का उपयोग निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

4. समन्वयन से पूर्व कॉलम संख्या 6 के विद्यालय अथवा उसमें समाहित होने वाले कॉलम संख्या 5 के विद्यालय का नाम किसी दानदाता/शहीद सैनिक/स्वतंत्रता सेनानी आदि के नाम से होने की स्थिति में समन्वित विद्यालय का नामकरण के संबंध में विभाग द्वारा जारी पत्र कमांक प.11(40)शिक्षा–6/05/पार्ट दिनांक 11.02.2016 के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।

5. उक्त समन्वित किये जाने वाले विद्यालयों के संबंध में शाला दर्शन पोर्टल पर विद्यालयों की सूची में संशोधन कर समस्त प्रविष्टियॉ की जावे। यह कार्यवाही निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद् द्वारा सुनिश्चित की जावेगी।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(सुनील कुमार शर्मा)
संयुक्त शासन सचिव
प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना)

निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :–

1. निजी सचिव, सचिव प्रथम, माननीय मुख्यमंत्री महोदया।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय,राजस्थान सरकार।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग।
7. निजी सचिव, विशिष्ठ शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग।
8. आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद,जयपुर।
9. निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद,जयपुर।
10. निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,जयपुर।
11. संभागीय आयुक्त ......कोटा...... ।
12. संबंधित जिला कलक्टर ......बारां...... ।

13. संयुक्त शासन सचिव,प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना)/वरिष्ठ/उप शासन सचिव,प्रा.शि./शिक्षा ग्रुप–6/ग्रुप–2/ग्रुप–5 विभाग।
14. शासन उप सचिव,शिक्षा– ग्रुप–1 विभाग।
15. समस्त शिक्षा उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा ......कोटा......।
16. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,प्रारम्भिक/माध्यमिक (प्रथम/द्वितीय) ......कोटा......।
17. नोडल अधिकारी शाला दर्शन पोर्टल।
18. रक्षित पत्रावली।

(एस.एन.यादव)
अनुसंधान अधिकारी